पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन प्रभाग)

बिहार सरकार

पशुपालकों के लिए गोशाला से संबंधित मुख्य बातें

- राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित ''गोशाला'', गोशाला एक्ट, 1950 के तहत निर्बंधित संस्था है।
- गोशाला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुपयोगी गोवंश का रख-रखाव एवं देशी नस्ल के गोवंश का संरक्षण तथा संबर्द्धन है।
- पशुपालक कृपया अपना पशु अनुपयोगी होने पर सड़क पर नहीं छोड़ें। उसे गोशाला में सुपुर्द कर दें।
- गोशाला को उसके विकास, देशी नस्ल का संरक्षण, संबर्द्धन तथा पशुओं के रख-रखाव के लिए समय-समय पर पशु एवं मत्स्य संसाधन (पशुपालन) विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुदान दिया जाता है।
- पशुपालकों को भी गोशाला में सहयोग करना चाहिए।
- आम जनता से अनुरोध है कि गोशाला की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसका विरोध करें और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें।
- जानकारी के अभाव में पशुपालक अपने अनुपयोगी पशुओ को गोशाला मे न देकर यत्र-तत्र छोड़ देते है। सड़क पर विचरने से आवागमन वाधित होता है। साथ ही गंदगी फैलती रहती है। दुर्घटना की भी प्रबल संभावना बनी रहती है।
- पशुपालकों को गोशाला से जुड़ाव रखना चाहिये। सदस्यता शूल्क देकर आम जनता भी गोशाला समिति का सामान्य या आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
- अधिक से अधिक सदस्यता होने से गोशाला से पशुपालकों का जुड़ाव बढ़ेगा। साथ ही गोशाला की आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी।
- गोशाला की जमीन वहां के स्थानीय नागरिक के द्वारा दान में दी गई थी। आम जनता से पुनः अनुरोध है कि गोशाला की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करें। यह आपके गोवंश के संरक्षण हेतु आपही के द्वारा बनाई गई संस्था है। इसकी भी रखवाली जनता द्वारा ही सही ढंग से की जा सकती है।
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन), बिहार सरकार संस्था के संरक्षण हेतु सदैव तत्पर है।
- विशेष जानकारी हेतु गौशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना (पो0- बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना-14) से सम्पर्क किया जा सकता है।

पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में प्रचारित।